फा. स. सीडीएन/80/2017-समन्वय
भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 06 अगस्त, 2018

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: महिला और बाल विकास मंत्रालय के संबंध में जून, 2018 माह का मासिक सारांश।

अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित जून, 2018 माह के मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग की हिंदी प्रति परिचालित करने का निर्देश हुआ है।

(के.सी. बेहेरा)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23380547

सेवा में,
मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण

अनुलग्नकों के साथ प्रति अग्रेषित :

1. उपाध्यक्ष, नीति आयोग
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव
3. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव
4. मंत्रीमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन
5. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग
6. प्रमुख महानिदेशक (एमएंडसी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
7. भारत सरकार के सभी सचिव
8. मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निजी सचिव / राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निजी सचिव
9. पीआईओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
10 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक ,रा.सू.के. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

महिला और बाल विकास मंत्रालय के संबंध में जून, 2018 माह की मासिक सारांश रिपोर्ट

महिला और बाल विकास मंत्रालय के कार्यों से संबंधित जून, 2018 को समाप्त माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नानुसार हैं :

1. **पोषण अभियान के अभिमुखीकरण पर क्षेत्रीय कार्यशाला**

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) अर्थात सर्वांगीण पोषण हेतु प्रधान मंत्री की अति महत्वपूर्ण स्कीम और प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)स्कीम के संबंध में हरियाणा, पंजाब और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला चंडीगढ में दिनांक 01.06.2018 को आयोजित की गई। उपरोक्त राज्यों के 800 अंतर विभागीय अधिकारियों का कार्यशाला के दौरान अभिमुखीकरण किया गया। साथ ही, 04.06.2018 को कर्नाटक में और तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों के अधिकारियों के लिए दिनांक 18.06.2018 को चेन्नै, तमिलनाडु में भी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

2. **पोषण अभियान के लिए राष्ट्रीय सेमिनार टेक-थॉन-टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप**

पोषण अभियान के लिए टेक-थॉन-टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 28 जून, 2018 को प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित की गई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम का उद्देश्य पोषण के प्रति सहयोग के रास्ते तलाशने और तकनीकी सहायता के लिए साझेदारी के साथ-साथ जन-अभियान अथवा जन-आन्दोलन चलाने के लिए प्रभावी व्यवहार परिवर्तन लाने हेतु लाभार्थियों तक पहुंचने हेतु परिवेश का प्रदर्शन एवं अभिमुखीकरण करना था ।

3 **बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय परामर्श**

सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में 05 जून, 2018 को जकारंदा हॉल, इंडिया हेबिटेट सेन्टर, नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों सहित सभी हितधारकों से संवाद प्रारम्भ करने के लिए बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया।

4. **महिलाओं एवं बालकों के विरुद्ध साइबर अपराध पर गोल-मेज विचार-विमर्श**

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 06 जून, 2018 को होटल अशोक में महिलाओं एवं बालकों के विरुद्ध साइबर अपराध विशेष रूप से ऑन-लाइन बाल यौन सामग्री, बलात्कार कल्पना और अन्य अप्रिय सामग्री के उन्मूलन के मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श

करने हेतु गोल-मेज विचार-विमर्श आयोजित किया गया। श्रीमती मेनका संजय गांधी, मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने विचार-विमर्श की अध्यक्षता की।

5. राज्य मातृत्व लाभ स्कीमों के साथ प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना की को-ब्रांडिंग

मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु (एमआरएमबीएस) और तेलंगाना (केसीआर-केआईटी) की राज्य मातृत्व लाभ स्कीमों के साथ प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना की को-ब्रांडिंग का अनुमोदन किया गया। सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के साथ राज्य मातृत्व लाभ स्कीमों के एकीकरण पर विचार-विमर्श करने के लिए संबंधित राज्यों के अधिकारियों के साथ दिनांक 15.05.2018 को बैठक आयोजित की गई।

6. मानव संसाधन विकास पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति का मैसूरू दौरा

मानव संसाधन विकास पर विभाग से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ आंगनवाडी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में आंगनवाडी कार्यकर्त्रियों की कार्य-प्रणाली और आंगनवाडी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 04 जून, 2018 को कर्नाटक में मैसूरू का दौरा किया। बेटी बचाओ, बेटी पढाओ के क्रियान्वतन पर भी चर्चा की गई।

7. जिम्बावे के प्रतिनिधियों का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का दौरा

मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के परामर्श से जिम्बावे के प्रतिनिधि मंडल की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक, गुरूग्राम में चाइल्ड्लाइन सेन्टर का दौरा और वितीय सेवाएं विभाग के साथ बैठक आयोजित की । साथ ही, जिम्बावे के दूतावास के बार-बार अनुरोध करने पर जिम्बावे के प्रतिनिधि-मंडल के लिए खान मंत्रालय के साथ भी बैठक आयोजित की।

8. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 21 जून, 2018 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), 5 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सभी अधिकारियों को योगा बनियान, चटाई, दिशा-निर्देश दिये गये और त्रुटि-रहित अभ्यास और योग समारोह मनाने के लिए योग अध्यापक की भी व्यवस्था की गई । सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भी गर्भवती माताओं द्वारा सुरक्षित योग

अभ्यास पर विशेष बल के साथ उचित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की सलाह दी गई थी।

9. **खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफएनबी)**

मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफएनबी) ने समेकित बल सेवा स्कीम (आईसीडीएस) के पूरक पोषण कार्यक्रम की मॉनीटरिंग करने के लिए 404 आंगनवाडी केंद्रों का निरीक्षण किया! इसके अतिरिक्त, शहरी मलिन बस्तियों, ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में पोषण, पोषक तत्व संरक्षण, उचित पाक कला विधि के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु 416 पोषण शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किये गये।

10. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन:

- विभिन्न स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से वीडियो कांफ्रेस पर निरन्तर संवाद और विचार-विमर्श किये जाते हैं।
- मंत्रालय द्वारा ई-ऑफिस का पूर्णत: कार्यान्वयन किये जाने के परिणामस्वरूप सरकारी खज़ाने में बचत हुई है। साथ ही, बहुत अधिक मात्रा में अंतर-मंत्रालयीन पत्राचार ई-मेल के माध्यम से किया जाता है।
- हितधारकों की सुविधा एवं सुगमता के लिए सभी नीतियों/कार्यक्रमों/अधिनियमों/ संस्वीकृति आदेशों को पब्लिक डौमेन पर रखा जाता है।

***